भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1151

सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना

1151. श्री सतीश कुमार गौतमः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संघ राज्यक्षेत्रों में नए पर्यटन सर्किटों को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने द्वीपों में स्थित संघ राज्यक्षेत्रों में इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ग): नए पर्यटन परिपथों और इको पर्यटन सहित पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्धन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' तथा 'पर्यटन अवसरंचना के विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक अपनी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता दिशानिर्देशों के अनुसार व राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर दी जा रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

श्री सतीश कुमार गौतम द्वारा संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में दिनांक 08.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 1151 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में **विवरण**

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)**
क	**स्वदेश दर्शन 1.0**	
i.	लॉन्ग द्वीप हैवलॉक - नील द्वीप - रॉस स्मिथ द्वीप - - बाराटांग द्वीप-द्वीप पोर्ट ब्लेयर का विकास	27.57
	कुल स्वीकृत लागत	**27.57**

लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)**
	स्वदेश दर्शन 2.0	
i.	बंगाराम में इको-रिट्रीट, एडवेंचर, समुद्र-तट और एमआईसीई एक्सपीरियंस का विकास (25 मार्च)	81.18
	कुल स्वीकृत लागत	**81.18**

****